| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| 22/2/2021 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि अपीलान्ट के पिता का सही नाम रामप्रताप है परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज एवं तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता के गलत नाम प्रभात को स्वीकार किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में सहखातेदार राधेश्याम शर्मा पुत्र बालूराम जाति ब्राह्मण तथा ओमप्रकाश शर्मा पुत्र गामराज जाति ब्राह्मण, लीलाधर पुत्र लक्ष्मणराम के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र व राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां पेश किये। |

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 104 में अपीलान्ट के पिता का नाम प्रभात अंकित है जबकि अपील एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में रामप्रताप है। अपीलान्ट का कथन कि अपीलान्ट के पिता का नाम का सही नाम रामप्रताप है की पुष्टि शपथ पत्र सहखातेदारान, राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 104 निर्णय दिनांक 19.10.1977 ग्राम नापावाली निरस्त किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक सावल पुत्र ईशरा के वारिसान के सही नामों की जांच कर ... नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। पत्रावली बाद फैसल ... से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:20 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना